न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

राम निवास बनाम तहसीलदार, सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र अ. धा. 136 LR Act 1956 मु.नं. 604 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
17/2/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./26/180 दिनांक 04.02.2026 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थी ने कर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम मुकन्दपुरा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के नये खाता सं. 98 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि निवास पुत्र नन्दा दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि राम निवास पुत्र नन्दा राम है। अर्थात् प्रार्थी का सही नाम राम निवास पुत्र नन्दा राम है। प्रार्थी के नाम से बने सभी दस्तावेजात तथा ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के नये खाता सं. 58 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि राम निवास पुत्र नन्दा राम अंकित है, जो की सही है। अतः उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि निवास पुत्र नन्दा के स्थान पर राम निवास पुत्र नन्दा राम दुरूस्त किया जावें।" प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः वकील प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./26/180 दिनांक 04.02.2026 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम मुकन्दपुरा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के नये खाता सं. 98 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि निवास पुत्र नन्दा के स्थान पर राम निवास पुत्र नन्दा राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद की दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर	